प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

रजिस्टर्ड

सेवा में,

प्रबन्धक,
हाजी इलियास उ0 मा0 वि0
दौलतपुर– चकरा मऊ

पत्रांक – मा0शि0प0/मान्यता/ 435

दिनांक– 03-06- 2015

विषय :– सीधे (कक्षा–9 व 10)/ (कक्षा–6 से 10 तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा –7क(क) के अन्तर्गत आपकी हाजी इलियास उ0 मा0 वि0 दौलतपुर– चकरा मऊ को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष– 2017 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा–7क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :–

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होगी।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अलीप में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–11–2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगें।

टिप्पणी – इस प्रत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(कामता राम पाल)
अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

पृष्ठांकन सं0– मा0शि0प0/मान्यता/ दिनांक 2015 3-6-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ।
4. हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

(16)

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

हाजी इलियास इण्टर कालेज,

दौलतपुर चकरा मऊ।

पत्रांक – आई0वी0/मान्यता/ 680 दिनांक– 1-4- 2016

विषय :– **इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष– 2018 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनयम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 5000=00 (रू0 5000=00 एवं रूपये 3000=00 प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(घ) *यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–11–2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लीयरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगें।*

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग नवीन	सामान्य हिन्दी	अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित

टिप्पणी :– उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(कामता राम पाल)
अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

पृष्ठांकन सं0– आई0वी0/मान्यता/ दिनांक– 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ।
4. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वाराणसी को अभिलेख हेतु।

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
हाजी इलियास इण्टर कालेज,
दौलतपुर, चकरा, मऊ।

पत्रांक–आई0वी0/मान्यता/ 1533 /2017–18 दिनांक 20.7.18

विषय–इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए मानविकी वर्ग नवीन विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–1144/पन्द्रह–7–2018–1(5)/2015 दिनांक 17 जुलाई, 2018 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के प्रावधानों के अधीन आपकी संस्था को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद्की वर्ष–2020 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबंधों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया गया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि /भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अंदर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्ध प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाा है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकारी का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अथवा विद्यालयों को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 10,000/– (रू0 5000/– एवं रू0 3000/– प्रति वर्ग /प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्याः 25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लीयरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी वर्ग अतिरिक्त	साहि0 हिन्दी	संस्कृत, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, कला, उर्दू, मनोविज्ञान, अर्थ शास्त्र

टिप्पणीः– उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(सतीश सिंह)
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

पृष्ठांकन सं0– आई0बी0/मान्यता/ /2018–19 दिनांक 26-7-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ।
4. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वाराणसी को अभिलेख हेतु।

अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।